(6)

Distance And Open Education

दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा (Non-formal Education) की आधुनिक प्रणाली है। इसमें शिक्षक तथा छात्र का सम्बन्ध दूर का होता है। वे परस्पर रूप से बहुत कम मिलते हैं। यह पत्राचार कोर्सों, सम्पर्क कार्यक्रमों, जनसंचार के साधनों आदि के द्वारा प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा में पत्राचार, गृह, अध्ययन, मुक्त अध्ययन, मुक्त शिक्षा, परिसर मुक्त अध्ययन, आदि निहित है। इस लिए दूरस्थ शिक्षा के लिए दूरस्थ अधिगम, दूरस्थ शिक्षण, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार अधिगम, स्कूल के बाहर शिक्षा आदि शब्द प्रयुक्त की जाती है।

इस शिक्षा में सीखने वाले (छात्र) तथा सिखाने वाले (शिक्षक) एक दूसरे से दूर रहते हैं परन्तु दोनों में सीखना व सिखाना बिना किसी बाधा के निरन्तर चलता रहता है, इसमें सीखने वाला अपनी सुविधा तथा प्राप्त समय के अनुसार अपनी गति से सीखता चलता है। यह शिक्षा व्यक्ति को निरन्तर शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़े रखती है। इस शिक्षा प्रणाली की अपनी तकनीक है। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग सन 1982 से शुरू हुआ।

भारत में इसके लिए तीन पदों का प्रयोग किया जाता है,

(1) एक्सटर्नल एजुकेशन

(2) पत्राचार शिक्षा

(3) दूरस्थ शिक्षा

(4) पत्राचार अथवा दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षण।

(i) स्व-अनुदेशनात्मक सामग्री

(ii) बहु-माध्यम उपागम

(iii) छात्र सहायक सेवाएं

(iv) योजनाबद्ध मूल्यांकन

दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं

(1) दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है जिसे पत्राचार शिक्षा मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम आदि भी कहा जाता है।

(2) यह शिक्षा स्थान, काल आदि से सम्बन्धित नहीं होती है।

(3) यह शिक्षा छात्र-केन्द्रित होती है। यह छात्रों की आवश्यकताओं पर केन्द्रित होती है।

(4) प्रवेश की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा लचीली होती है।

(5) यह शिक्षा छात्र के द्वार पर प्रदान की जाती है।

दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य

(1) उन सीखने वालों को अधिगम अवसर प्रदान करता है, जो कम आय, अधिक आयु दूरी आदि के कारण अपनी शिक्षा को कायम रखने में असमर्थ रहे थे

(2) शिक्षा का मुख्यतः उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसरों का मार्ग प्रशस्त करना।

(3) उन सीखने वालों को अपनी रुचि के विषयों एवं भाषाओं की अपनी गति तथा अपनी सुविधानुसार सीखने के योग्य बनाना, जो इसको औपचारिक शिक्षा के कठोर नियमों तथा समय तालिका के कारण नहीं सीख सके थे।

(4) शिक्षित व्यक्तियों के उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना।

(5) सीखने वालों के लाभ तथा उत्थान के लिए उनके ज्ञान को को समृद्ध बनाना।

खुली या मुक्त शिक्षा
Open Education

शिक्षा जगत में इवन इलिच डिस्कूलिंग सोसाइटी (Dischooling society) तथा एवरे रीमर की school is dead) नामक पुस्तकों ने एक

नवीन विचार धारा को जन्म दिया। रीमर के अनुसार हमारी परम्परागत विद्यालय पद्धति मर रही है। और हमें नवीन साधनों की खोज करनी है। इलिच का मत है कि हम अपनी संस्कृति विद्यालय रहित बना सकते है, क्योंकि प्रचलित विद्यालय अर्थहीन हो चुके है। उसके अनुसार सभी ~~जिज्ञासु~~ जिज्ञासुओं के लिए जब चाहें तब और जहां चाहे, वहां और जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाहे उससे और जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहे उतना प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए।

Vocationalisation Education

भारतीय संविधान मे शिक्षा को महत्पूर्ण स्थान दिया गया है। फिर भी सरकार की नीति उच्च शिक्षा मे कम खर्च करने की रही है. उच्च शिक्षा मे सरकारी भागीदारी को कम किये जाने के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है। कि इससे शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता मे बढोत्तरी होगी तथा शिक्षा को ~~[illegible]~~ व्यवसाय से जोड कर रखना।

Unit - 4

संस्कृति और शिक्षा
Culture and Education

जैसा कि पहले भी विवेचना की जा चुकी है कि संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। उस सबसे व्यापक रूप वह है, जिसमें मनुष्य द्वारा अर्जित सभी कुछ उसकी सीमा में आता है। इन अर्थों में शिक्षा संस्कृति का अंग मात्र होती है। संस्कृति का दूसरा रूप अभौतिक है, इस रूप में उसकी सीमा में मनुष्य के विचार, मूल्य, मान्यताएं और विश्वास आते हैं। इस अर्थ में भी संस्कृति और शिक्षा अभिन्न होते हैं क्योंकि जिस समाज में जो मान्यताएं होती हैं, जो मूल्य और विश्वास होते हैं। उसकी शिक्षा उन्हीं के आधार पर खड़ी की जाती है। और शिक्षा इन मान्यताओं, मूल्यों और विश्वासों को आने वाली पीढ़ी में संक्रमित करती है।

शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति को व्यापक अर्थ ही लिया जाता है। इस अर्थ में किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के सदस्यों के जीवन की पूर्ण विधि से होता है।

(35) इसके अन्तर्गत उस समाज मनुष्य द्वारा निर्मित समस्त भौतिक उपकरण, रहन-सहन और खान-पान की विधियां, रीति-रिवाज और व्यवहार के तरीके तथा अभौतिक विचार मूल्य मान्यतायें और विश्वास सभी सम्मिलित होते हैं। इसे ही दूसरे शब्दों में मनुष्य जीवन के सामाजिक, आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक पक्ष कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी समाज की शिक्षा पर इन सब तत्वों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहना न होगा कि संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है। एक उदाहरण द्वारा इस बात को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। आप देखें कि जिस समाज की संस्कृति आध्यात्मिक प्रधान होती है, उस समाज में शिक्षा स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की प्राप्ति की ओर अधिक झुकी हुई होती है। और जिस समाज ~~में शिक्षा~~ की संस्कृति का रूप प्रधानतः भौतिक होता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित रहती है। और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति का आत्म भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति की ओर नियोजन रहता है।

संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव
Impact of Culture on Education

(4) किसी समाज की संस्कृति उसकी युग-युग की साधनों का परिणाम होती है। मनुष्य पर अपने समाज की इस संस्कृति का सबसे अधिक और स्थायी प्रभाव पड़ता है यह प्रभाव दो प्रकार के होते हैं-

अनौपचारिक (informal)
औपचारिक (Formal)

(1) संस्कृति मनुष्य को अपने प्राकृतिक पर्यावरण में समायोजन करने योग्य बनाती है

(2) संस्कृति मनुष्य को अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन करने योग्य बनाती है

(3) सांस्कृतिक मनुष्य को अन्य पर्यावरणों में समायोजन करने योग्य बनाती है।

(4) संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है।

शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव
Impact of Education on Culture

एक ओर संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है। और मनुष्य के विकास में अपनी योग देती है। तो दूसरी ओर शिक्षा भी संस्कृति का संरक्षण करती है और उसमें विकास करती है। शिक्षा के सांस्कृतिक कार्यों को हम निम्न शीर्षकों में अभिव्यक्त कर सकते

① शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित करती है

② शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है।

③ शिक्षा संस्कृति में विकास करती है

④ शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों के प्रति दृष्टिकोण का निर्माण करती है

प्रजातन्त्र और शिक्षा
Democracy and Education

प्रजातन्त्र की धारणा
The concept of Democracy

प्रजातन्त्र एक "मानव आदर्श" है। इसको समझने के लिए व्यक्ति इतिहास के आरम्भ से ही संघर्ष कर रहा है। परन्तु वह अभी तक इसके वास्तविक अर्थों को नहीं समझ सका है। और अभी प्रजातन्त्र की अनुभूति से कोसों दूर है। प्रजातन्त्र को प्रायः राजनीतिक अर्थों में ही लिया जाता है। जिन ग्रीक शब्दों से Democracy शब्द की उत्पत्ति हुई है, उनके अर्थ हैं लोग और शक्ति (People and Power) Demos प्रजा (People) तथा Krates शक्ति (Power)। अतः शाब्दिक

(68) के दृष्टिकोण से इससे अभिप्राय लोक शासन से ही है। परन्तु इसके केवल राजनीतिक अर्थ लेना ठीक नहीं। हमें इसे व्यापक अर्थों मे लेना चाहिए। जैसे शासन विधि, जीवन विधि, समस्याओं के समाधान की विधि तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास का साधन आदि।

(1) प्रजातन्त्र शासन विधि के रूप मे → इब्राहिम लिंकन प्रजातन्त्र को लोगों का लोगो द्वारा लोगों के लिए शासन मानते थे शासकों को जनता की आवाज को ध्यान में रखना चाहिए

(2) प्रजातन्त्र - जीवन - विधि के रूप में → वर्तमान युग मे प्रजातन्त्र को केवल शासन - विधि तक सीमित नहीं किया जाता। (जॉन डीवी के (John Dewey) अनुसार → "लोकतन्त्र का महत्व शासन विधि से अधिक है। अपने आरम्भिक रूप में यह एक सम्मिलित जीवन - विधि है, जो अनुभव के परस्पर आदान - प्रदान पर आधारित है।

(3) प्रजातन्त्रात्मक दृष्टिकोण → प्रजातन्त्रात्मक दृष्टिकोण सहमति, तर्क और परस्पर विरोधी विचारों के समायोजन का दृष्टिकोण है। समाज मे लोगों को कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इन समस्याओं में प्रति प्रजातन्त्रात्मक दृष्टिकोण इस बात का आग्रह करता है, "आओ हम बैठे एक दूसरे को समझें और निर्णय करें।

प्रजातन्त्र की मूलभूत धारणाएं

1. मानव व्यक्तित्व के प्रति आदर
2. अवसर की समानता
3. स्वतन्त्रता
4. भ्रातृभाव और सहयोगात्मक जीवन
5. अच्छी नागरिकता
6. सहिष्णुता
7. परिवर्तन में विश्वास

प्रजातन्त्र और शिक्षा - उनका क्रियात्मक सम्बन्ध

प्रजातन्त्र और शिक्षा में क्रियात्मक सम्बन्ध है। समस्त संसार में शिक्षा को प्रजातन्त्रात्मक आदर्शों और प्रजातन्त्रात्मक समाज की शक्ति माना जाता है! वास्तव में शिक्षा के बिना प्रजातन्त्र का कोई महत्व नहीं। उदाहरण के तौर पर इंगलैंड में प्रजातन्त्र के विकास के कारण ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को आरम्भ किया गया, भारत में राष्ट्रीय क्रान्ति के विकास ने शिक्षा की उन्नति को बहुत प्रभावित किया। दूसरी ओर शिक्षा की प्रगतिशील प्रवृत्तियों ने संसार की प्रजातन्त्रीय शक्तियों को शक्ति प्रदान की।

(10) प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्त और शिक्षा

Democratic Principles and Education

प्रजातन्त्र और शिक्षा एक दूसरे के लिए कैसे काम करते हैं। इस बात को एक और दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। प्रजातन्त्र के अपने नैतिक सिद्धान्त हैं। उसका अपना दर्शन है, उसका अपना अनुशासन है, वह लोगों को कुछ ज्ञान, कुछ कुशलताएँ उत्पन्न करना चाहता है।

प्रजातन्त्र के लिए शिक्षा

अमेरिका की राष्ट्रीय शिक्षा के निम्नलिखित तत्व बताये हैं।

(1) ~~प्रजा~~ प्रजातन्त्रात्मक शिक्षा के निम्नलिखित तत्व बताए हैं।

(2) प्रजातन्त्रात्मक शिक्षा व्यवहार में आधारभूत नागरिक स्वतन्त्राओं का सम्मान करती है।

(3) प्रजातन्त्रात्मक शिक्षा मुक्ति प्रदान करती और सभी की बुद्धियों का प्रयोग करती है।

(4) प्रजातन्त्रात्मक शिक्षा उन आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का विकास करती है।

प्रजातन्त्रात्मक शिक्षा की मुख्य विशेषताएँ

(1) सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा

(2) व्यापकता पर आधारित शिक्षा

(3) शिशु केन्द्रित शिक्षा

(5) शिक्षा का सांस्कृतिक आधार
(6) शिक्षा संचालन में विकेन्द्रीकरण
(7) योग्य नागरिक के लिए शिक्षा
(8) अवकाश, राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा
(9) वयस्क शिक्षा की व्यवस्था

प्रजातन्त्र और शिक्षा के विभिन्न पक्ष

(I) प्रजातन्त्रात्मक नागरिकता का विकास
(II) स्पष्ट चिन्तन
(III) बोलने और लिखने में स्पष्टता
(IV) समुदाय के साथ रहने की कला
(V) सच्ची देश भक्ति की भावना
(VI) विश्व-नागरिकता की भावना का विकास
(VII) व्यावसायिक कुशलता का विकास
(VIII) (क) काम के प्रति नए दृष्टिकोण का निर्माण
(ख) ~~काम के प्रति नए दृष्टिकोण~~ तकनीकी कुशलता एवं कला का विकास
(IX) व्यक्तित्व का विकास
(क) रचनात्मक शक्ति का निर्माण
(ख) संवृद्ध रुचियों का निर्माण
(X) नेतृत्व के गुणों का विकास

प्रजातन्त्र और पाठ्यक्रम

(ग) (5) शिक्षा का सांस्कृतिक आधार

(6) शिक्षा संगठन में विकेन्द्रीकरण

(7) योग्य नागरिक के लिए शिक्षा

(8) अवकाश, राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा

(9) वयस्क शिक्षा की व्यवस्था

प्रजातन्त्र और शिक्षा के विभिन्न पक्ष

(1) प्रजातन्त्रात्मक नागरिकता का विकास

(i) स्पष्ट चिन्तन

(ii) बोलने और लिखने में स्पष्टता

(iii) समुदाय के साथ रहने की कला

(iv) सच्ची देश भक्ति की भावना

(v) विश्व-नागरिकता की भावना का विकास

(2) व्यावसायिक कुशलता का विकास

(क) काम के प्रति नए दृष्टिकोण का निर्माण

(ख) ~~काम के प्रति नए दृष्टिकोण~~ तकनीकी कुशलता एवं कला का विकास

(3) व्यक्तित्व का विकास

(क) रचनात्मक शक्ति का निर्माण

(ख) संकुचित रुचियों का निर्माण

(4) नेतृत्व के गुणों का विकास

प्रजातन्त्र और पाठ्यक्रम

7 (1) व्यापकता पर आधारित पाठ्यक्रम
(2) विविधता एवं लचीलापन
(3) स्थानीय आवश्यकताओं का सिद्धान्त
(4) सामाजिक दृष्टिकोण
(5) व्यावसायिक आवश्यकताओं की व्यवस्था
(6) संयुक्त पाठ्यक्रम
(i) प्राकृतिक विज्ञान
(ii) समाज और सामाजिक वातावरण को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान
(1) प्रजातन्त्र और शिक्षण विधियाँ
(2) प्रजातन्त्र और अनुशासन
(3)

प्रजातन्त्र और स्कूल प्रशासन

(1) अध्यापकों को अधिक अधिकार देना
(2) अध्यापकों को अधिक स्वतन्त्रता देना
(3) स्कूलों में प्रजातन्त्रात्मक वातावरण की स्थापना

Inequalities in ancient, medieval and modern education

प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शिक्षा में असमानतायें

शिक्षा और आर्थिक विकास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक क्षमता की वृद्धि है। ~~[illegible]~~

हमारे देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक, धार्मिक परम्पराओं की तरह यहां की शैक्षणिक व्यवस्था भी बहुत पुरानी है। आज जो आधुनिक व्यवस्था है, इसको बहुत वर्तमान स्वरूप में पहुंचने तक बहुत समय लगा है। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है। इसके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि ये भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप है।

अध्ययन की दृष्टि से हम शिक्षा को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं और इन तीनों सहजता से अध्ययन करने के पश्चात् ही यह जान सकते हैं। इन कालों में कितनी असमानतायें हैं।

(1) प्राचीन काल में दो भाग में है। - वैदिक काल और बौद्ध काल

(2) मध्य काल अथवा इस्लामिक शिक्षा।

(3) आधुनिक काल इसमें ब्रिटिश काल भी आ जाता है।

सर्वप्रथम हम वैदिक काल की चर्चा करते हैं। इस काल में सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से वेदों को मुख्य स्थान प्राप्त था। यही कारण है कि इसको वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस युग को शिक्षा के प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से जानते हैं।

(23)

① इस युग में शिक्षा को व्यक्तिगत तथा सामाजिक समृद्धि का साधन माना गया है।

② इस युग की शिक्षा को प्रकाश स्तम्भ के रूप में माना गया है। जो अन्धेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है।

③ इस युग में शिक्षा के उद्देश्य

④ धर्म की प्रधानता जो वेदों पर आधारित है।

⑤ चरित्र निर्माण

⑥ नागरिकता की भावना का विकास।

⑦ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास।

आधुनिक शिक्षा

भारत देश अपने वैभव और समृद्धि के कारण सदा से विदेशियों के लिये आकर्षण का केन्द्र रहा है। सातवीं व आठवीं शताब्दी में यहां अरब तुर्क और अफगानों ने आना आरम्भ किया था इन लोगों ने हमारे साहित्य, कला, समाज, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया और अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी लागू किया। फिर अंग्रेज भारत आए और उन्होंने अपने काल में-

① रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार किया।

② कम्पनी के कर्मचारियों की आध्यात्मिक उन्नति करना।

③ भारतीय को इसाई बनाने तक सीमित रही।

बाद में चलकर लार्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में साहित्य से अभिप्राय अंग्रेजी से अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय विद्वान उन विद्वानों को माना गया।

निस्पंदन का सिद्धान्त
Downwards Filteration Theory

इस नीति से निम्न परिणाम हुए

(1) जन साधारण के लिये शिक्षा के द्वार बंद हो गये।

(2) सामाजिक असमानता में बढ़ावा हुआ।

(3) अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी।

(4) शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी का माध्यम बनना निश्चित हो गया।

(5) भारतीय शिक्षा का पश्चातीयकरण हो गया।

इस प्रकार वैदिक, इस्लामिक और अंग्रेजी द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धतियों में एक दूसरे से भिन्नता दिखाई देती है। और अनेक प्रकार की असमानताये है। जो कि आज के भारत के लिये आधुनिक शिक्षा के लिए सार्थक नहीं है। आधुनिक शिक्षा तो अपने मूल रूप भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस पर निर्भर करती है।

New Economic Reforms and their impact on Education
नये आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव

शिक्षा और आर्थिक विकास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक क्षमता की वृद्धि है। मार्शल आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं, "किसी समाज का आर्थिक विकास राष्ट्रीय श्रम शक्तियों का देश के प्राकृतिक साधनों द्वारा कार्य करने की शक्ति का नाम है।

गहनता से समझने का प्रयास किया जाये तो पता चलता है कि आर्थिक विकास एक व्यापक शब्द है। आर्थिक विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। जिसके द्वारा किसी भी व्यवस्था की राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होती है। कुशल जन शक्ति का विकास होता है, और लोगों को जीवन सम्बन्धी सुविधायें जैसे शिक्षा चिकित्सा आदि उपलब्ध होती हैं।

आर्थिक नियोजन
(Economic Planning)

आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत हम बहुत विचार-विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लेते हैं और उसे कैसे बनाना है। और उस मे कितने और किन-किन साधनों को कितनी मात्रा में लगाना है।

राष्ट्र में आर्थिक सुधारों के लिये आर्थिक नियोजन एक ऐसी व्यवस्था है, जो विशेषकर उत्पादन और वितरण से सम्बद्ध रखती है। इसके अनुसार क्या उत्पादन किया जाये, कहां, कैसे व कब उत्पादन किया जाये और ~~वितरण से सम्बद्ध~~ उनको किन व्यक्तियों में विभाजित किया जाये के विषय में सचेत होकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसा करने से ही आर्थिक सुधार सम्भव हो सकते हैं।

नये आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव

इन नये आर्थिक सुधारों का प्रभाव शिक्षा के सन्दर्भ में सकारात्मक भी है, और कुछ सीमा तक नकारात्मक भी है।

शिक्षा की दृष्टि से ~~क~~ सकारात्मक प्रभाव

उदारीकरण → इस आर्थिक नीति में उदारीकरण को प्रोत्साहित किया गया। उदारीकरण से हमारे राष्ट्र के उद्योगों को बढ़ावा मिला है, इस नीति के कारण छोटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द कर दिया गया है, जिसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया गया है। इन सब उपायों से उत्पादन में वृद्धि हुई

भुगतान शेष में सुधार

(1) नीति व सुधार प्रतिकूल भुगतान शेष को सुधारने मे सहायक सिद्ध हुई है.
(2) कीमतो मे नियन्त्रण
(3) आर्थिक विकास की दर वृद्धि
(4) पूंजी निर्माण में वृद्धि
(5) रहन - सहन के स्तर में सुधार
(6) रोजगार मे वृद्धि

नकारात्मक प्रभाव → निजीकरण को अधिक महत्व

→ इन सुधारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार न करके निजे क्षेत्र को बढाने का प्रयास किया गया है। इन का मुख्य कारण यह बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजि क्षेत्र अधिक कुशल है, इस से एकाधिकार प्रवृति को बढावा मिलता है। शोषण किया जाता है। कालाधन की समस्या को बढावा मिलता है। मुनाफा खोरी और जमाखोरी जैसी बुराईयो को बढावा मिलता है,

(1) बेरोजगारी की समस्या
(2) सामाजिक कल्याण की अवहेलना
(3) विदेशी ऋण पर अधिकार निर्भरता

(13) कृषि को कम महत्व
पूंजी निर्माण में वृद्धि
विदेशी तकनीकी पर निर्भरता।
घरेलू आर्थिक इकाईओं की हानि
आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण का
प्रोत्साहन
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक
द्वारा ~~प्रेरित~~ प्रेरित है।

उपलब्धियां → राजकोषीय घाटे में कमी
(2) मुद्रा स्फीती पर नियन्त्रण।
(3) निर्यात वृद्धि
(4) राष्ट्रीय आय में वृद्धि
(5) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

कमियाँ →
(1) बेरोजगारी में वृद्धि
(2) कृषि उत्पादन में वृद्धि में कमी
(3) निर्धनता उन्मूलन में सफल न होना

उपर्युक्त सामग्री से यह पता चलता है, कि नई आर्थिक सुधार की नीति कुछ क्षेत्रों जैसे विदेशी मुद्रा को प्रोत्साहन और कम कीमत स्तर में कमी आदि में तो सफल रही है

शिक्षा तकनीकी सशक्तिकरण के लिये
Education for Technological Empowerment

सशक्तिकरण का अर्थ

सशक्तिकरण का अर्थ साधारण शब्दों में समर्थता शक्तिशाली एवं शक्ति सम्पन्नता प्रदान करने से है। सशक्तिकरण से अभिप्राय सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी व्यावसायिक, सांस्कृतिक, साहित्य दर्शन, आध्यात्मिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में न केवल सहभागिता निभाना बल्कि सत्ता में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने से है। सशक्तिकरण के लिए संरक्षण एवं विकास प्रक्रिया की पहल जरूरी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव का सम्पूर्ण विकास है, जिसमें शारीरिक, मानसिक सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, धार्मिक नैतिक, आध्यात्मिक सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विकास आता है।

शिक्षा व सशक्तिकरण
Education and Empowerment

उपरोक्त शीर्षक के सन्दर्भ में हम यह सकते हैं कि सशक्तिकरण के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि E (Education + E Empowerment) मिलकर एक नई E अर्थात् Energy ऊर्जा को उत्पन्न करती है -

②

(1) शिक्षा के द्वारा ही योग्य नागरिक बनाया जा सकता है।

(2) शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थियों का मानसिक शारीरिक, नैतिक, एवं आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है, और इसके द्वारा सर्वांगीण विकास किया जाता है,

(3) आत्म-विश्वास जाग्रत करने में शिक्षा सदैव सक्रिय भूमिका निभाती है।

(4) सेवा, सुरक्षा एवं सहयोग की भावना शिक्षा सदैव सक्रिय भूमिका निभाती है।

(5) लक्ष्य के निर्धारण और उसके अनुसार उसकी तैयारी में शिक्षा सक्रिय सहयोग प्रदान करती है।

इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास किया जाता है। जो उसके आन्तरिक भाव में छिपी होता है वह खुलकर बाहर आ जाती है।

शिक्षा की अवधारणा
Concept of Education

वास्तव मे शिक्षा विकास की एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा अपने उच्चतम स्तर पर विकास की प्रक्रिया को जानना या अनुभव करना है। प्रत्येक स्वस्थ बालक में अपने पूर्ण विकास की संभावनाएं निहित होती हैं। जिस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति में सम्पूर्ण वृक्ष का विकसित रूप निहित होता है।

(8)

यह व्यक्ति में निहित क्षमताओं का विकास एवं सुधार भी करती है। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं निम्न प्रकार से है-

(1) शिक्षा मानव का विकास है।
(2) शिक्षा प्रवीणता प्रदान करती है।
(3) शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है।
(4) शिक्षा एक सामाजिक कार्य है।
(5) व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षा।
(6) नेतृत्व का विकास
(7) व्यावसायिक कुशलता का विकास
(8) शिक्षा मार्गदर्शन कराती है।
(9) शिक्षा आधुनिक आवश्यकता है
(10) शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है

तकनीकी सशक्तिकरण

आज अनेक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों के कारण वर्तमान युग को तकनीकी युग कहा जाने लगा है। यही कारण है कि विज्ञान व तकनीक को सामाजिक और आर्थिक विकास के अनिवार्य घटकों के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। ज्ञान-विज्ञान की निति नवीन उपलब्धियों के कारण ही आज शिक्षा का विस्तार सम्भव हो सका है।

तकनीक का अर्थ एवं परिभाषा

तकनीकी का शाब्दिक अर्थ शिल्प विज्ञान या प्रौद्योगिकी है। यह लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका

अर्थ बुनना या प्रौद्योगिकी है। यह लैटिन भाषा के शब्द टैक्सर से बना है, जिसका अर्थ बुनना या निर्माण करना है। सरल शब्दों में तकनीकी शब्द का अभिप्राय कला या शिल्प में विज्ञान का प्रयोगात्मक स्वरूप है। इस के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोगात्मक स्वरूप कहा जा सकता है

(1) Robert A. Cox ने तकनीकी को इस प्रकार से परिभाषित किया है, "मनुष्य के सीखने की स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया को तकनीकी कहा जाता है।"

(2) शिव कुमार पात्र के अनुसार, "तकनीकी का सम्बन्ध उन वैज्ञानिक तकनीकी और विधियों से है, जिनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।"

तकनीकी प्रगति का प्रत्यक्ष प्रभाव भोजन, आवास, चिकित्सा, मनोरंजन, सूचना आवागमन एवं संचार आदि सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तकनीकी ने हमारे जीवन को सरल, सशक्त एवं सुखमय बना दिया है।

Role of Teacher in the context of Universal Education

सार्वभौमिक शिक्षा को सफल बनाने के लिये सार्वभौमिक स्कूलों का खोला जाना आवश्यक है। बिना सार्वभौमिक स्कूलों के सार्वभौमिक शिक्षा पर निर्भर करती है। ऐसे स्कूलों के लिए शिक्षकों मे मानवीय और व्यावसायिक गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षक इन स्कूलों मे धुरी का कार्य करते है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। अच्छे नागरिक ही सक्रिय रूप से राष्ट्र निर्माण मे सहयोग दे सकते है। शिक्षक परिश्रमी देश भर नागरिक का निर्माण कर सकता है।

शिक्षक

Teacher → अध्यापक शिक्षा पद्धति का केन्द्र है। एच. जी. वैल्ज के अनुसार इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है।

योग्यताएं एवं अनुभव

अध्यापक को जिस कक्षा को पढाना होता है, उसके के लिए निर्धारित योग्यता उसमें होनी चाहिए अर्थात यदि अध्यापक को प्राइमरी कक्षाएं पढ़ानी है, कम मैट्रिकुलेट होना चाहिए और उस के पास अध्यापक प्रशिक्षण का डिप्लोमा होना चाहिए

(7)

व्यावसायिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित गुण

(1) मनोविज्ञान का ज्ञान
(2) अनुसन्धान प्रवृत्ति
(3) जीवन के प्रति लोकतन्त्रात्मक दृष्टिकोण
(4) विषय-वस्तु पर अधिकार
(5) शिक्षण-प्रविधियों पर अधिकार
(6) पाठ्य-सहायक क्रियाओं में रुचि
(7) आत्म विश्लेषण के लिए तैयार
(8) समय की पाबन्दी
(9) बच्चे का व्यक्तिगत रूप से आदर करना
(10) सहयोगात्मक दृष्टिकोण

व्यक्तित्व से सम्बन्धित गुण

(1) वैयक्तिक आकृति
(2) स्वस्थ मन
(3) स्वर और उच्चारण
(4) चरित्रवान
नेतृत्व के गुण

Unit-2

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) लक्ष्य और सिफारिशें

हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि कठोरी ने जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया के रूप मे माना है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा को विभिन्न स्तर की स्वतन्त्र इकाई माना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, "हमे यह ध्यान रखना चाहिए कि माध्यमिक स्तर स्वयं मे पूर्ण इकाई है, यह अवस्था की तैयारी नहीं है। इस अवस्था के अन्त मे यदि छात्र चाहे तो वह जीवन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए किसी लाभदायक व्यवसाय को अपना सकता है"।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के अंतर्गत प्राथमिक अथवा जुनियर बेसिक विद्यालय में चार या पांच वर्ष की शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा आरंभ हो।

(1) इसमे मिडिल स्कूल या जुनियर सैकण्डरी या सीनियर बेसिक स्तर पर तीन वर्ष का पाठ्यक्रम है

(2) हमारे सैकण्डरी स्तर पर 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है। आयोग ने वर्तमान इन्टरमीडिमेट प्रणाली को हायर सैकेण्डरी प्रणाली में बदलने की बात कही है जो 4 वर्ष की हो एवं

(8) इन्टरमीडियेट को एक वर्ष इसमें जोड़ दिया जाए। इसप्रकार तीन वर्ष का पाठ्यक्रम डिग्री प्राप्त करने के लिए हो। ऐसा करने से सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर दो भागों मे विभाजित हो जाता है। (1) कक्षा 6 से 10 तक जूनियर माध्यमिक स्तर (2) कक्षा 9 से 11 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इन्टरमीडियेट परीक्षा को दोषपूर्ण बताया है। और इसके अनुसार इन्टरमीडियेट परीक्षा की सबसे बड़ी कमी है कि यह कालेज की निरन्तरता को समाप्त करती है एवं डिग्री पाठ्यक्रम के योजन को विषम बनाती है माध्यमिक स्तर पर एक साल जुड़ जाने से कुशलता अधिक होगी और एक वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने से शैक्षिक कुशलता का निर्माण होगा।

माध्यमिक शिक्षा आयोग → 1952-53 विस्तृत व्याख्या

मुदालियर इस कमीशन के चेयरमैन थे। इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर कमीशन 1952-53 के नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा शब्द की शक्ति को सही दिशा प्रदान करती है। भारत देश की सरकार माध्यमिक शिक्षा के प्रति सचेत रही है। इसलिए समय पर आयोग और समितियों का गठन हुआ है इस अध्यायन मे मुदालियर कमीशन (1952-53) ने माध्यमिक शिक्षा को सुझाव दिए हैं।

(4) इस आयोग को एक समिति से द्वारा बनाया गया था। इस समिति मे ~~अनेक~~ कुछ सदस्य भी थे

इस आयोग के सदस्यों का ब्यौरा इस प्रकार है।

(1) डॉक्टर ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर - चेयरमैन
(2) जॉन क्राइस्ट - सदस्य
(3) डॉ. केनिथ रस्ट विलियम्स
(4) श्रीमती हंसा मेहता
(5) श्री जे. ए. तारापोरवाला - सदस्य
(6) डॉ. के एल. श्रीमाली
(7) श्री के. टी. व्यास
(8) श्री के. जी. सैयदन - "
(9) श्री के. एन. बसु

आयोग के कार्य (1) भारत में वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की जांच करना।

(2) माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण

(3) प्राथमिक बुनियादी तथा उच्च शिक्षा के संदर्भ मे माध्यमिक शिक्षा

(4) विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों से सहसंबंध।

(5) अन्य संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना जिससे देश की आवश्यकतानुकूल समस्त राष्ट्र मे माध्यमिक शिक्षा का एक जैसा रूप हो

(88) शिक्षा के उद्देश्य

(1) प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास
(2) व्यावसायिक उन्नति
(3) व्यक्तित्व का विकास
(4) नेतृत्व का विकास करना
(5) माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

अवधि
तीन - वर्षीय डिग्री कोर्स
(2)
(3) पाठ्यक्रमों की विभिन्नताएं
(4) आन्तरिक मूल्यांकन
(5) टैक्नीकल शिक्षा
(6) अन्य प्रकार के विद्यालय
(7) भाषाओं का अध्ययन
(9) पाठ्यक्रम
(10) पाठ्य पुस्तकें
(11) शिक्षण की गतिशील पद्धतियां
(12) अनुशासन
(13) धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा
(14) सहगामी क्रियाएं
(15) मार्ग प्रदर्शन एवं परामर्श
(16) छात्र कल्याण
(17) मूल्यांकन

प्रशिक्षण कौशल का विकास

महाविद्यालय कर्तव्य
अध्यापकों के विकास के प्रति सचेत रहें

(9) सर्वेक्षण के मध्य उसने यह अनुभव किया - हम इससे सहमत हो गए हैं, यदि अध्यापक की वर्तमान असंतुष्ट दशा एवं हताशा को दूर किया जाए और शिक्षा का वास्तविक निर्माण हो जाए तो इसके लिए आवश्यक है कि उनके स्तर तथा सेवा की दशा में सुधार किया जाए।

(1) अध्यापकों के चुनाव में समरूपता हो।
(2) प्राइवेट स्कूल में हैडमास्टर सहित अध्यापकों ~~की वर्तमान असंतुष्ट दशा एवं हताशा को दूर किया जाए और~~ चयन समिति हो नियुक्ति के लिए
(3) प्रोबेशन पीरियड एक वर्ष का हो
(4) अध्यापकों के पदों को अधिक आकर्षक बनाया जाए।

इस के अतिरिक्त और भी समस्याएं हैं जैसे:

(1) प्रशासन समस्या
(2) वित्त व्यवस्था

(2) कोठारी कमीशन सन्दर्भ → 1964-66 - माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को यद्यपि कई राज्यों ने स्वीकार कर लिया किन्तु माध्यमिक स्तर पर देश में समरूपता न आ सकी। कोठारी कमीशन ने शिक्षा की नवीन संरचना में देश में एकरूपता बनाए रखने पर विशेष बल दिया है, इस शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत सरकार के प्रस्ताव पारित दिनांक 14 जुलाई 1964 के अनुसार की गई।

(भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66))

स्वतन्त्रता के तत्काल बाद जो कमीशन नियुक्त किए गए उनके सुझाव अब तक लागू नही किए गए यदि किए भी थे तो वह समयानुकूल न रहे थे। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1964 मे डॉ० डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता मे एक कमीशन का गठन किया।

उद्देश्य इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के हर स्तर का सर्वेक्षण कर एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली को जन्म देना था जो हर स्तर पर उत्तम सिद्ध हो सके

कमीशन के सदस्य

(1) डॉ. डी. एस. कोठारी
(2) प्रो. जे. पी नायक
(3) श्री जे. एफ. मैक डोगाल आदि थे

कमीशन के उद्देश्य व कार्य

(1) भारतीय मूल्यों व परंपराओं पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का विकास
(2) शिक्षा के माध्यम से स्वतन्त्रता, समानता व न्याय पर आधारित समाज का विकास
(3) शिक्षा के हर स्तर पर गुणात्मक सुधार करना।

(a) शिक्षा को मानवीय कल्याण की कुंजी का दर्जा दिलाना।
(b) शिक्षा को खण्डों में देखकर एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में देखना।

कमीशन के महत्वपूर्ण सुझाव

1. शिक्षा के उद्देश्य
2. शैक्षिक ढांचा
3. अध्यापक का स्तर
4. अध्यापक शिक्षा
5. अध्ययन विधियाँ
6. शिक्षा को उत्पादकता से संबंधित करना
7. विज्ञान की शिक्षा
8. कार्य का अनुभव
9. माध्यमिक स्तर की शिक्षा का व्यावसायीकरण
10. उत्पादन में विज्ञान व कार्य अनुभव का प्रयोग
11. सामाजिक व राष्ट्रीय अखंडता
12. सर्वसामान्य स्कूल व्यवस्था
13. सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा
14. उपयुक्त भाषा नीति
15. राष्ट्रीय चेतना का विकास
16. आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा

शिक्षा कमीशन के लागू किए सुझाव

1. राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव (1968) शिक्षा कमीशन (1964-66) के सुझावों में भिन्न-2 शिक्षा

(1) शिक्षा संगठनों और संस्थाओं व शिक्षा क्षेत्र के लोगों के सुझावों को ध्यान मे ~~ध्यान~~ रखते हुए 1968 मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पास किया गया।

(2) पूरे भारत मे 10+2+3 की नई शिक्षा पद्धति का आरंभ।

(3) उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण। करने के लिए योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई व राज्य सरकारों को इसके लिए सहयोग प्रदान किया गया।

(4) कमीशन के सुझाव पर सभी राज्यों व केन्द्रीय स्कूलों मे अध्यापकों के वेतन संशोधित किए गए।

वह सुझाव जिन पर ध्यान न दिए गए

(1) अखिल भारतीय स्तर पर स्कूली ~~भवनों~~ भवनों का निर्माण,

(2) बड़े पैमाने पर अंश कालिक शिक्षा का प्रावधान

(3) विकास की एकीकृत योजनाओं का उद्भव।

(4) भारतीय शिक्षा सेवा की उत्पत्ति।

(5) राष्ट्रीय शैक्षिक रस्ट।

National Education Policy 1986
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

किसी देश का सशक्त होना या कमजोर होना देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है, अगर कोई राष्ट्र यह चाहता है कि राष्ट्र का उत्थान हो और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे तो उस देश के नागरिकों को व्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अगर किसी देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, तो वह देश प्रगति नहीं कर सकता। मानव इतिहास का अवलोकन करने से पता चलता है कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का शक्तिशाली एवं सशक्त साधन है।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति (1986) का निर्माण

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता को अनुभव करते हुए समूचे राष्ट्र, बुद्धिजीवियों को उस पर विचार-विमर्श करने हेतु 1985 में Challenge Education - A Policy Perspective नाम की पुस्तिका प्रकाशित हुई। विभिन्न बुद्धि-जीवियों, अध्यापकों, मुख्याध्यापकों, शिक्षा अधिकारियों, शिक्षाशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों आदि ने इस पर विचार विमर्श किया। देश में जगह-जगह कई सम्मेलन एवं गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस पुस्तिका में वर्णित विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी मुद्दों को हर दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया।

(११) इस व्यापक विचार - विमर्श के परिणामस्वरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का निर्माण किया गया। इस नीति के दस्तावेज में 12 भाग है जो निम्नलिखित हैं

(1) भूमिका
(2) शिक्षा का सारतत्व तथा भूमिका
(3) राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति
(4) समानता के लिए शिक्षा
(5) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन
(6) तकनीकी एवं प्रबन्धात्मक शिक्षा
(7) पद्धति का कार्य कौशल बनाना
(8) शिक्षा की सामग्री एवं प्रक्रिया का नवीनीकरण।
(9) अध्यापक
(10) शिक्षा का प्रबन्ध
(11) ससांधन एवं पुनर्विचार
(12) भविष्य

नई शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएँ

(1) सबके लिए अनिवार्य
(2) भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की नीति
(3) शिक्षा का सांस्कृतिक योगदान
(4) मानव शक्ति का विकास
(5) अनुसंधान और विकास का आधार
(6) अद्वितीय धन विनियोग

(11) शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति

(1) शिक्षा ढाँचे मे समरूपता
(2) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
(3) सीखने का न्यूनतम स्तर
(4) अनुसंधान ~~एवं~~ एवं विकास पर विशेष बल
(5) विज्ञान और गणित की शिक्षा पर बल
(6) परीक्षा और मूल्यांकन
(7) जीवन पर्यन्त शिक्षा

शिक्षा मे समानता
Education for Equality

(1) नारी शिक्षा
(2) अनुसूचित जातियों एवं कबीलों के लिए शिक्षा
(3) विकलांगों के लिए शिक्षा
(4) प्रौढ - शिक्षा

विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन

(1) पूर्व प्राथमिक शिक्षा → बालक को ~~प्र~~ प्राथमिक शिक्षा मे प्रवेश कराने से पूर्व उसके शारीरिक स्वास्थ्य और संतुलित विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसे नई शिक्षा नीति मे (Early child hood care and education) का नाम दिया है।

(2) प्राथमिक शिक्षा → नई शिक्षा नीति इस बात को मान कर चलती है, सन 1995 तक 14 वर्ष

(2) की आयु वाले बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की बात को व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिए

(3) माध्यमिक शिक्षा

(4) नवोदय स्कूल

(5) शिक्षा का व्यावसायीकरण

(6) तकनीक तथा शिक्षा प्रबन्ध

(7) पद्धति को कार्यशील बनाना

(8) शिक्षा की सामग्री तथा प्रक्रिया का नवीकरण

(9) अध्यापक शिक्षा

(10) शिक्षा का प्रबन्ध

(11) संसाधन एवं पुनर्विचार

(12) भविष्य

आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन 1990

→ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के पुनर्विचार ~~का समय 5 वर्ष का चाहे लेकिन~~ हेतु भारत सरकार ने 7 मई 1990 को आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किया। वैसे तो पुनर्विचार का समय 5 वर्ष का था लेकिन इस बात के लिये प्रश्न भी उठाया गया कि 5 वर्ष से पहले इसके पुनर्विचार की क्या आवश्यकता है।

आचार्य राममूर्ति कमेटी (1990) में 16 सदस्य थे आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के ~~पुनी~~ पुनर्विचार के

(12) का विषय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) से सम्बन्धित निम्नलिखित है:-

(1) शिक्षा के कार्य, लक्ष्य और उद्देश्य
(2) समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा
वर्ग - B अनुसूचित जातियों एवं कबीलों और शिक्षा दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा
वर्ग - C विकलांगों के लिए शिक्षा
वर्ग - D सार्वजनिक स्कूल पद्धति।
वर्ग - E नवोदय विद्यालय
(3) बालकों की देखभाल और शिक्षा
(4) प्रौढ़ और अनवरत शिक्षा
(5) शिक्षा और काम का अधिकार
(6) उच्च शिक्षा
(7) शिक्षा में भाषाएं
(8) विषय सामग्री और शिक्षा प्रक्रिया

प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता →

(1) लड़कियों की समानता के लिए शिक्षा
(2) लड़कियों के लिए स्कूल पाठ्यक्रम
(3) नवोदय विद्यालय
(4) व्यवसायिक शिक्षा
(5) शिक्षण
(6) शिक्षण

(41)

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा - 2005
आवश्यकता और उद्देश्य
National Curriculum Framework - 2005
Needs and Objectives

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचे पर एक सामान्य कोर के साथ साथ अन्य लचीले घटकों पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा - प्रणाली की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति / कार्य योजना में शिक्षा के लिए बाल केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना की गई है।

सन् 1988 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों सहित प्रमुख लक्ष्यों तथा सिफारिशों को ध्यान में रख कर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढाँचा तैयार किया। इसमें शिक्षा की विषय - वस्तु और प्रक्रिया के विभिन्न घटकों का समग्र रूप में तथा माध्यमिक स्तर तक विभिन्न विषयों की मार्गदर्शी रूप - रेखाओं, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिक सामग्रियों का आधार है। इस ढाँचे के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा जो सामान्य शिक्षा का अन्तिम चरण है।

(११) की विषय - वस्तु पाठ्यक्रम के निम्न लिं० क्षेत्रों को ध्यान मे रखकर तैयार की जायगी।

① भाषा (मातृभाषा हिन्दी, अंग्रेजी)
② गणित
③ विज्ञान
④ सामाजिक विज्ञान
⑤ कार्य - अनुभव
⑥ कला - शिक्षण
⑦ स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा
⑧ मूल्य आधारित शिक्षा
⑨ जनसंख्या शिक्षा

उच्चतर माध्यमिक (+2) स्तर स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण चरण है। क्योंकि इस स्तर के बाद छात्र भविष्य मे इंजीनियर प्रौद्योगिकीविद डॉक्टर, शिक्षक बनने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमो मे प्रतिभागी बनने के लिए अथवा तृतीय - चरण पर शैक्षिक कार्यकलाप जारी रखने के लिए पात्रता ग्रहण करता है अत। इस स्तर पर छात्रों को अलग-2 विषयों यथा भौतिकी, रसायनशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, भाषा और कला आदि विषयों की सरंचना से अवगत कराया जाना चाहिए

(१७) पाठ्यक्रम का निर्माण संविधान द्वारा दर्शाए गए मूल्यों की शिक्षा भी सम्मिलित पाठ्यक्रम समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और प्रजातंत्र को प्रोत्साहन देने वाला हो।

(1) पाठ्यक्रम आधुनिक टैक्नोलोजी और हमारी संस्कृतिक परंपराओं की बीच की खाई पाटने वाला हो

(2) 1968 की भाषा - नीति को अपनाया

(3) इसमें पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था हो,

(4) खेलकूद और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम का मुख्य भाग होना चाहिए।

(5) पाठ्यक्रम कार्यानुभव व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित हो

(6) मूल्यों की शिक्षा का प्रावधान

(7) कार्यानुभव का प्रशिक्षण

(8) शिक्षा और पर्यावरण का संबंध

(9) गणित शिक्षा पर विशेष बल

(10) विज्ञान शिक्षा।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप

पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जिससे बालकों और किशोरों की आवश्यकता की पूर्ति हो। इन विद्यार्थियों ने आगे चलकर प्रजातन्त्रात्मक समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना है।

इसलिए पाठ्क्रम से समाज और प्रजातांत्रिक नागरिकों की आवश्यकताओ की पूर्ति भी आवश्यक है। स्कूल की पा~~ठ्यक्रम से समाज और~~ ना। पाठ्यचर्या मे ऐसे तत्व आवश्य होना चाहिए जिस से छात्र - छात्रो मे विचारो की अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास ही न हो, बल्कि उसके व्यक्तित्व के शारीरिक मानसिक, समाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों का भी विकास होना चाहिए। इस दृष्टि से पाठ्क्रम मे शारीरिक शिक्षा, कौशल नृत्य, संगीत, हस्तकला को भी सम्मलित किया जाना चाहिए

पाठ्यक्रम पाठशालाओ का महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए बालको के व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास करने हेतु पाठ्कम मे सन्तुलन और सजीवता होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील और शिक्षा भी परिवर्तन और निरन्तर चलने वाली जीवन पर्यन्त प्रक्रिया है इसलिए पाठ्यक्रम भी निरन्तर परिवर्तनशील और प्रगतिशील होना चाहिए

उच्चतर प्राथमिक अवस्था पर पाठ्यक्रम

उच्चतर प्राथमिक अवस्था में छात्रो के ऊपर अलग-2 विषयो पर बल दिया जाए कि पढाई अधिक व्यवस्थित हो जाएगी। पाठ्यक्रम विषय-क्षेत्र की दृष्टि से

विस्तृत और विषय-वस्तु की दृष्टि से गहन बन जाएगी। शिक्षण-पद्धतियाँ पहले की अपेक्षा प्रणालीबद्ध हो जाएंगी और प्रगति का स्तर अधिक निश्चित और स्पष्ट बन जाएगा।

कोर अथवा कर्म पाठ्यक्रम

कोर पाठ्यक्रम का तह ज्ञान और अनुभव का भाग है। जिसे सब छात्रों को पढ़ना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 भाषाओं तथा सामाजिक अध्ययन का सामान्य विज्ञान और गणित का एक कर्म या कोर पाठ्यक्रम रखा तथा शेष तीन वैकल्पिक विषय रखे. जो सात विषय समूहों में से किसी एक से चुने जा सकते थे 10+2 शिक्षा प्रणाली में कक्षा 1 से 10 तक सभी विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित कोर अथवा कर्म पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति 1986 में अन्य विषयों के साथ-2 कर्म पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई है। जो इस प्रकार है।

① भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन का इतिहास
② संवैधानिक दायित्व
③ राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु आवश्यक विषय वस्तु
④ भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत

(12) समता, लोकतन्त्र एवं धर्म निरपेक्षता संबंधी विषय-वस्तु।

(6) लैंगिक समता।

(7) पर्यावरण रक्षा।

(8) सामाजिक बाधा उन्मूलन

(9) छोटा परिवार आदर्श अनुपालन

(10) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

पाठ्यक्रम में नवाचार

(1) सन 1960 ई० के बाद पाठ्यक्रम विकास पर पुनर्विचार किया गया। इस क्षेत्र में ब्रूनर हुई आदि विचारकों ने ~~[illegible]~~ उल्लेखनीय कार्य किया। हुई 1964 ने पाठ्यक्रम में नवाचारों को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया।

(1) पाठ्यक्रम का निर्माण कार्य स्थानीय स्तर पर न किया जाए वरन् यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर हो।

(2) अन्तर्वस्तु के चयन के लिए अवधारणा योजना को आधार बनाया ~~[illegible]~~ जाए।

(3) अन्तर्वस्तु का चयन विशेषज्ञों या अनुभवी द्वारा किया जाए।

(4) शिक्षण बाल केन्द्रित हो तथा सीखने के लिए प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाए।

Programme of Action (1992)
कार्य का कार्यक्रम

व्यवसायिक कार्यक्रम के चार क्षेत्र (Four areas of Vocational Programme)
कार्य के कार्यक्रम का विकास जानने के चार क्षेत्र हैं।

(1) व्यवस्था का विकास एवं इसका प्रबंधन
(2) व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम
(3) विशेष समूहों व स्कूल से बाहर की जनसंख्या के लिए कार्यक्रम
(4) लक्ष्य व विकास के लिए तैयारी।
(5) व्यवस्था का विकास। विकास संस्थापक ढाँचे में है।

मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए संयुक्त कौंसिल शोध, विकास व मूल्यांकन कार्य के लिए स्थापित किया जाए।

राज्य सरकारों को व्यावसायिक शिक्षा की राज्य कौंसिल व व्यावसायिक शिक्षा के राज्य संस्थान इत्यादि स्थापित किए जाए

एन. सी. ई. आर. टी. सी. आई. ई. वी. ई. शिक्षा के प्रादेशिक कालेज एस. सी. ई.

(5) शिक्षा के प्रादेशिक कालेज एस. सी. ई. आर. टी. एस. आई. ई. तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि को सुदृढ़ किया जाए।

(2) व्यावसायिक सर्वेक्षण के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा की राज्य कौंसिल कौलेज वर्ग की आवश्यकताओं के मूल्यकान का प्रबंधन करना।

(2) व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम

राज्य व्यावसायिक शिक्षा विभाग के द्वारा +2 के छात्रों के लिए अपने -2 राज्य मे सीमित स्तर पर प्रादेशिक आधार पर व्यावसायिक कार्यक्रम आरंभ किए जाएँगे

(3) विशेष समूहों व स्कूल के बाहर की जनसंख्या के लिए कार्यक्रम उपयोगी समुदाय को शामिल करे

जे. सी. ई. वी. ई. सरकारी व निजी क्षेत्र को सम्मिलित करके व्यावसायिक शिक्षा में योजना का विकास करेगी। जिसमे प्रोत्साहन का प्रयोग किया जाएगा।

(1) औपचारिक कार्यक्रम

(2) अध्यापक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय नीति

(3) कार्य का कार्यक्रम

(c) A अध्यापक का स्तर → अध्यापक के जीवन एवं कार्य की परिस्थितियाँ - अध्यापकों के स्तर को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक उनकी जीवन एवं कार्य परिस्थितियाँ हैं। कुछ दिशाएँ जिनमें कार्य किया जाएगा। निम्न लिए

(1) वेतन एवं भत्ते
(2) व्यावसायिक विकास
(3) सेवानिवृत्ति व वृद्धावस्था सुविधाएं व चिकित्सकीय देख-रेख
(4) आवास
(5) अध्ययन अवकाश
(6) नारी शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान
(7) कार्य परिस्थितियों की एकरूपता
(8) अध्यापकों का स्थानांतरण
(9) अध्यापक कल्याण के लिए राष्ट्रीय संस्था

अध्यापकों की सहभागिता

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में अध्यापकों की सहभागिता।

(2) अध्यापकों के नीति निर्माण व प्रबंध में सहभागिता।

(106) (1) अध्यापक शिक्षा

(2) प्राथमिक अध्यापक शिक्षा का पुनर्गठन

(3) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा

(4) अध्यापकों की मध्य सेवा शिक्षा।

(5) उच्च शिक्षा

(1) स्वायत कॉलेजों का विकास

(2) कॉलेज शिक्षा का पुनर्निर्माण

(3) योजना एव परस्पर तालमेल

(4) नियंत्रित प्रवेश।

(5) अध्यापन विधियो मे तीव्र परिवर्तन

(6) गुणात्मक शोध

(7) राष्ट्रीय सस्था की स्थापना।

मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा / अधिगम

(1) मुक्त विश्वविद्यालय सस्था उच्च शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने हेतु व शिक्षा को लोकतान्त्रिक बनाने हेतु आरम्भ की गई है।

(2) इंदिरा गांधी नॅशनल औपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) जो कि 1985 मे इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए स्थापित की गई

डिग्रियों को नौकरी से अलग करना

कुछ चयनित क्षेत्रों नौकरी की डिग्री से पृथक करने की पहल की जाएगी, इसे इन नौकरियों में लागू किया जाएगा। जिनके लिए विश्वविद्यालय की कोई डिग्री अनिवार्य नहीं होगी, यह नौकरी विशेषकर पाठ्यक्रमों के पुनर्निर्माण की ओर ले जाएगा।

1. ग्रामीण विश्वविद्यालय
2. शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का मूल्यांकन

मुख्य विशेषताएं

1. शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका
2. शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था
3. शिक्षा का व्यावसायीकरण
4. शिक्षा का आधुनिकीकरण
5. समानता के लिए शिक्षा
6. प्राथमिक शिक्षा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
7. एक सार्थक भागीदारी

नीति गुण

1. शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था
2. नवोदय स्कूल
3. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
4. डिग्री को नौकरी से पृथक करना

(3) उत्तरदायित्व

(4) भारतीय शिक्षा कमीशन

(7) शैक्षिक प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण

(8) राष्ट्रीय परीक्षा सेवा

(9) संसाधनों का बढ़ाना

अवगुण

(1) कोठारी कमीशन द्वारा दी गई 'पड़ोसी स्कूलों की धारणा' की अवहेलना।

(2) साम्प्रदायिक सहायता से अत्यधिक आशा।